

न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०)एक्ट, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

एस०सी० सं.1777/2024

अन्नू उर्फ अरूण कुमारीबनाम.....अंकित यादव आदि।

दिनांक 09-03-2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार करायी गयी। कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते बयान अंधारा-200 दं०प्र०सं० विगत अनेक तिथियों से नियत चली आ रही है। विगत अनेक तिथियों से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को परिवाद के संचालन में कोई रूचि नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में परिवादिनी की निरन्तर अनुपस्थिति के कारण परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद परिवादिनी की निरन्तर अनुपस्थित में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।